देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 281 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...जबर्दस्त जीत से रास्ता खुला

पेज थ्री

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 दिसंबर 2019

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 17.0° न्यूनतम 7.0°

41558.57 | 2 वैज्ञानिक लेखों का बड़ा प्रकाशक है भारत | 7 रोहित शर्मा की दमदार पारी

निर्भया की मां का फूटा गुस्सा

7 जनवरी तक का समय दोषियों को कोर्ट द्वारा मिला, जिससे निर्भया की मां काफी निराश दिखीं। निर्भया की मां ने कहा, एक साल से मैं पटियाला हाउस कोर्ट के चक्कर लगा रही हूं। आज फिर मुझे 7 जनवरी की तारीख दी गई है। यहां तो सब अधिकार मुजरिमों के ही हैं, हमारा तो कई अधिकार नहीं है। हमारे वकील की बात कोर्ट ने नहीं सुनी। कोर्ट ने भी उनके ही वकीलों की बात सुनी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटिशन खारिज होने पर निर्भया के पिता ने कहा, 7 साल से हम न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच-समझकर फैसला दिया है।श फैसले का स्वागत करते हुए निर्भया की मां ने कहा, श्मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं। हम न्याय के एक कदम और आगे बढ़े हैं। न्याय का इंतजार सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है।

निर्भया केसः रिव्यू पिटिशन खारिज

■क्यूरेटिव पिटिशन के बाद दया याचिका का भी विकल्प

पटिलाया हाउस कोर्ट ने दोषियों के डेथ वारंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। निर्भया के गुनहगारों फांसी के फंदे के बीच की दूरी और कम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोषी अक्षय की रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साथ में यह कहा कि दोषी तय समय में दया याचिका के विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, रिव्यू पिटिशन खारिज होने का यह मतलब नहीं कि जल्द ही निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट (पटियाला हाउस कोर्ट) में दोषियों के डेथ वॉरंट पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषियों को नोटिस दिया और अगली सुनवाई 7 जनवरी के लिए तय कर दी। आइए समझते हैं कि इस केस में अब आगे क्या हो सकता है।

अब आगे क्या-क्या विकल्प

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों को रिव्यू के लिए 1 हफ्ते और राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जा सकता है।

अक्षय के मामले में रिव्यू का निपटारा हो चुका है इस तरह अभी उसे दया याचिका दायर करने की मोहलत मिलेगी। राष्ट्रपति के पास एक और दोषी विनय की दया याचिका लंबित है। दया याचिका खारिज होने के बाद ही फांसी होगी।

एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले (रिव्यू पर नहीं) के बाद नए तथ्य सामने आए हैं कि निर्भया के दोस्त ने पैसे लेकर मीडिया को कहानियां बताई। उन्होंने कहा कि नए तथ्यों के आने के बाद नए सिरे से केस को सुना जाना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट में डेथ वॉरंट पर सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के कुछ ही घंटे बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को डेथ वॉरंट जारी करने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी किया। डेथ वॉरंट को लेकर अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिया के वे एक सप्ताह के भीतर दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछे कि क्या वे दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने निर्भया की मां से कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। हमें मालूम है कि किसी की मौत हुई है लेकिन यहां किसी अन्य के अधिकार की भी बात है।

बचाव पक्ष के वकील का दावा- अभी भी फांसी से बचने की उम्मीद

निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद अब फांसी से बचने के लिए चारों दोषियों की उम्मीद उन 17 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिक गई है, जिसमें कोर्ट ने फांसी को उम्रकैद में बदल दिया था। रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह आज या कल में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने 2017 के बाद के उन सभी 17 मामलों की लिस्ट रखेंगे, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

संक्षिप्त समाचार

दम है तो दुष्कर्म पर बोलिएः प्रियंका गांधी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

रांची। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती देती हूं कि सीएनटी-एसपीटी पर बोलिए, दुष्कर्म पर बोलिए, गायब रोजगार पर बोलिए। बीते दिन झारखंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस को दी गई चुनौती का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि आप देश के पीएम हैं या बंटवारे के प्रधानमंत्री हैं, इस पर बोलिए।

इंटरनेट बैन, मऊ में 600 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

आजमगढ़। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए यूपी में मऊ के बाद आजमगढ़ में भी इंटरनेट बैन कर दिया गया है।नागरिकता कानून के विरोध में जगह-जगह अराजक तत्वों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रही अफवाहों के चलते आजमगढ़ एसपी और डीएम ने बुधवार दोपहर 1 बजे से इंटरनेट सेवाएं बाधित करने की घोषणा की है।

मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के एग्जिक्युटिव चेयरमैन के पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। एनसीएलएटी ने कहा कि मिस्त्री फिर से टाटा संस के एग्जिक्युटिव चेयरमैन नियुक्त किए जाएं। साथ ही, उसने एन. चंद्रशेखरन के इस पद पर नियुक्ति को गैरकानूनी बताया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश चार सप्ताह बाद अमल में आएगा। टाटा संस को अपील करने के लिए यह समय दिया गया है। एनसीएलएटी के दो सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया है। एनसीएलएटी में यह याचिका मिस्त्री और दो इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से दाखिल की गई थी।

बंगाल में लागू नहीं करने दूंगी सीसीए

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अमित शाह केवल बीजेपी के नेता नहीं देश के गृह मंत्री भी हैं। लेकिन उन्होंने सबका साथ, सबका विकासश नहीं किया बल्कि सबके साथ सर्वनाश कर दिया।

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, नागरिकता कानून और एनआरसी को वापस ले लीजिए वरना मैं देखती हूं कि आप इसे यहां कैसे लागू करते हैं। बीजेपी पूरे देश

चेतावनीः देश के गृह मंत्री हैं इसलिए सुनिश्चत करें सीएए की आग में देश न जले

को हिरासत केन्द्र में बदलना चाहती है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमित शाह का कहना है कि आधार कार्ड (नागरिकता का) सबूत नहीं है, फिर आप इसके साथ सब कुछ क्यों जोड़ रहे हैं?

ममता की रैली का तीसरा दिन

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड इलाके में डोरिना क्रॉसिंग तक मार्च निकाल

रही हैं। आज उनकी नो सीएए नो एनआरसी रैली का तीसरा दिन है। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा, इस दौरान हिंसा की कोई खबर नहीं है।

अमित शाह से कहा- आपका काम आग बुझाना

ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों पर कहा, मैं केन्द्रीय गृह मंत्री से देश का ध्यान रखने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की अपील करूंगी। आपका काम आग बुझाना है। मैं अमित शाह से यह सुनिश्चित करने की गुजारिश करती हूं कि देश संशोधित नागरिकता कानून की आग में ना जले।

जिसे दंगों से फायदा, वही करवाता हैः केजरीवाल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भड़की हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ बताया है। उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना कहा, इस देश में दंगे कौन कराता है और किसकी ताकत है दंगे कराने की, आप सबको पता है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है दंगे कराने का, वह जानता है कि दंगे कौन करवा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दंगे से उनकी पार्टी को नुकसान ही होगा, इसलिए आप पर आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में दंगे फैलाने का आरोप निराधार है।

हैदराबाद रेप-मर्डरः पुलिस का दावा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में 27 नवंबर को हुए एक महिला पशु चिकित्सक के रेप और मर्डर के चार में से दो आरोपी 9 और महिलाओं के साथ ऐसा ही कर चुके थे। यह दावा हैदराबाद रेप-मर्डर की जांच करने वालों ने किया है। उनका कहना है कि पूछताछ के दौरान इन दो आरोपियों ने माना था कि उन्होंने इन नौ महिलाओं के साथ रेप करके उन्हें जलाकर मार दिया था। बाद में ये चारों हैदराबाद पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए थे।

फिलहाल, साइबराबाद पुलिस आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर कर्नाटक में पड़ताल कर रही है, क्योंकि इनमें से कुछ घटनाएं तेलंगाना-कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों हुईं थीं। गौरतलब है कि मोहम्मद आरिफ, जे नवीन, जे शिवा और चेन्नाकेशवुलू ने महिला पशु चिकित्सक के साथ रेप किया था और बाद में उसे जलाकर मार दिया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया, आरिफ और चेन्नाकेशवुलू ने बताया कि उन्होंने हाइवे पर वेश्याओं, हिजड़ों समेत कई महिलाओं का यौन शोषण किया था। लेकिन 9 मामलों में उन्होंने महिलाओं को जलाकर मारा था।

दावा

2 आरोपियों ने 9 और महिलाओं को रेप के बाद जलाकर मारा था

आरिफ और चेन्नाकेशववुलू थे शामिल

तेलंगाना पुलिस का दावा है कि आरिफ छह मामलों में शामिल था, चेन्नाकेशवुलू ने तीन महिलाओं का रेप और मर्डर किया था। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने तेलंगाना के संगा रेड्डी, रंगा रेड्डी ओर महबूबनगर हाइवे और कर्नाटक के सीमावर्ती शहरों में ये अपराध किए।

पूछताछ के दौरान कबूल किया अपराध

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया, कस्टडी में लेने के बाद हम तेलंगाना और कर्नाटक हाइवे पर महिलाओं के साथ रेप और जलाकर मारने की 15 घटनाओं में उनकी भूमिका की जांच कर रहे थे। इन चार में से दो ने इनमें से 9 घटनाओं में अपने शामिल होने की बात मान ली थी। हम हर एक केस की पुष्टि कर रहे हैं इसलिए अलग-अलग जगहों पर हमने जांचकर्ताओं की कई टीम भेजी हैं।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in